निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 85 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर)** के माह 10/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के.श्रीवास्तव एवं श्री अशोक कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.10.2016 से 11.11.2016 तक श्री जे.एम.एस.रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार एवं श्री सुनील दत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.10.2015 से 10.11.2015 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2013 से 09/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः काशीपुर
   नहरों का रखरखाव, भवन निर्माण तथा नहरों के किनारे सर्विस रोड का निर्माण/ रखरखाव, तमरिया डैम का रखरखाव का कार्य

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14			516595000	516595000	21914000	21914000	-	-
2014-15			887275000	886873000	37540000	37531000		402000 प्लान 9000 नान प्लान
2015-16			806828000	806824000	23416000	23416000	-	-
2016-17 (सितम्बर 2016 तक)			143316000	140980302	2100000	2099700	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2013-14	जनपद ऊधम सिंह नगर के विकास खण्ड, काशीपुर में विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) के अन्तर्गत तुमरिया बहल्ला एवं नकटिया फीडर की लाईनिग की योजना		112.00	112.00	
2014-15			448.00	448.00	
2015-16			56.00	56.00	
2016-17			-	-	
2013-14	जनपद ऊधम सिंह नगर के विकास खण्ड, बाजपुर में 10.400 किमी. नहरों के निर्माण की योजना		45.316	45.316	
2014-15			-	-	
2015-16			150.00	150.00	
2016-17			-	-	
2013-14	जनपद ऊधम सिंह नगर के विकास खण्ड जसपुर में 59.300 किमी. आंफसूटों के निर्माण की योजना		117.652	117.652	
2014-15			-	-	
2015-16			500.00	500.00	
2016-17			-	-	
2013-14	जनपद ऊधम सिंह नगर के बाजपुर विकास खण्ड में लेवड़ा नदी के दोनों तटों पर कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षा योजना।		12.39	12.39	
2014-15			300.31	300.31	
2015-16			300.00	300.00	
2016-17			95.55	95.55	

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तुमरिया एवं तुमरिया जलाशय का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 1- विवादित स्थल पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराने से अपूर्ण कार्य पर रू 98.74 लाख का अलाभकारी व्यय।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाबार्ड- XX (RIDF-XX) के अन्तर्गत " Project for construction of drainage (Nala) from Nachana Nala in Madua Kada Ganj in Bazpur Block of Udham Singh Nagar" के निर्माण हेतु रू 403.96 लाख की स्वीकति प्रदान की गयी थी (फरवरी 2015) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु (नहर लंबाई 1.890 किमी) प्रदान की गयी थी (जून 2015)। कार्य के निष्पादन हेतु निम्नानुसार अनुबंध गठित किए गए थे।

Sl No.	Contract No	Contract amount	Chainage
1.	13 EE dt 22.04.2016	Rs 55.76 lakh	Km 0.850-Km 1.150
2.	14 EE dt 22.04.2016	Rs 56.36 lakh	Km 1.150- Km 1.450
3.	20 EE dt 22.04.2016	Rs 28.13 lakh	Km 1.600- Km 1.750
4.	21 EE dt 22.04.2016	Rs 28.10 lakh	Km 1.450- Km 1.600
5.	99 EE dt 22.04.2016	Rs 56.48 lakh	Km 0.300- Km 0.600

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, काशीपुर, अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड द्वारा उक्त कार्य को न केवल विभिन्न टुकड़ो में विभाजित कर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति से वंचित रखते हुए न केवल 1.890 किमी लंबाई के सापेक्ष मात्र 1.200 किमी हेतु ही आंशिक अनुबंध गठित किया गया अपितु विस्तृत आगणन में प्रविधानित महत्वपूर्ण मद viz Dewatering वर्क एंड सीमेंट कंक्रीट (4 cm guaze) के कार्य को भी अनुबंध में नहीं लिया गया। पुनः अनुबंधों के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के समाप्ति के बाद भी आगणन में प्राविधानित 7 मदों (लागत रू 403.96 लाख) के सापेक्ष मात्र रू 98.74 लाख ही कार्य कराया गया था एवं अवशेष 0.600 किमी हेतु वर्तमान तक भी कोई अनुबंध नहीं गठित किया गया था।

उक्त की ओंर इंगित करने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से कार्य टुकड़ों में विभाजित किया गया जबकि स्वीकृत धनराशि रू 403.96 लाख के सापेक्ष मात्र 224.34 लाख एवं देरी से अनुबंध गठित किये जाने का कारण कार्य स्थल पर जलभराव होना बताया। पुनः अनुबंध की तिथि समाप्त होने के बाद भी मात्र 98.74 लाख का ही कार्य कराये जाने एवं Dewatering का कार्य अनुबंध में शामिल न किए जाने के संदर्भ में बताया गया कि उक्त नाला विवादित स्थल होने तथा जनमानस के विरोध के कारण कार्य नहीं कराया जा सका जबकि Dewatering का कार्य अनुबंधित स्थल पर जलभराव न रहने के कारण नहीं किया गया।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूंकि खण्ड द्वारा विवादित स्थल पर स्वीकृति प्राप्त कर न केवल आंशिक धनराशि हेतु अनुबंध गठित किया गया अपितु कार्य को विभाजित कर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गयी। पुनः अनुबंधों का देरी से गठन एवं Dewatering का कार्य न कराने के साथ-साथ अन्य कार्यों का आंशिक रूप से ही निष्पादन एक विरोधाभाषी उत्तर था।

अतः खण्ड द्वारा न केवल विवादित स्थल पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी अपितु कार्य को विभाजित कर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति से वंचित रखते हुए आंशिक अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ किया गया जिसके फलस्वरूप कार्य समाप्ति तिथि के उपरांत भी कार्य अपूर्ण रहने से रू 98.74 लाख के अलाभकारी व्यय, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2- छोटे-छोटे अनुबंध बनाने तथा ठेकेदारों द्वारा दी गयी न्यूनतम दर को उनके अन्य अनुबंधों में लागू न करने से रू 9.1 लाख का व्ययाधिक्य।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड काशीपुर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि महादेव नहर के पुर्ननिर्माण एवं आधुनिकीरण हेतु नाबार्ड द्वारा रू 1490.58 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी (माह 02/2015), मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य की रू 1490.58 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी (06/2015)।

स्वीकृति में नहर की 5.40 किमी लम्बाई में लाइनिंग की जानी थी परन्तु लो.नि.वि. की पुनरीक्षित दरों में वृद्धि के बाद (05/2015) प्राविधिक स्वीकृति में लाइनिंग की लम्बाई 0.37 किमी कम कर 5.030 कर दी गयी। कार्यमदों में Excavation, Concrete work brick masoring के साथ Restoration of rain cuts with soil का प्रावधान था।

कार्य के निष्पादन हेतु विभिन्न समयान्तरों पर निविदायें आमन्त्रित की गयी। अधिशासी अभियन्ता स्तर पर 20 तथा सहायक अभियन्ता स्तर पर 10 अनुबंध गठित किये गये। खण्ड स्तर के 06 अनुबंध श्री अशोक शर्मा, 03 अनुबंध श्री डी.पी. सिंह , 04 अनुबंध श्री यू.सी. पाण्डे एवं 02 अनुबंध श्री पुष्कर दुर्गापाल के नाम के थे जबकि उपखण्ड स्तर के सभी 10 अनुबंध एक ही फर्म M/s जिंदल वेजीटेवल्स को प्रदान किये गये थे।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा Item wise दरें प्रस्तुत की गयी थी। एक ठेकेदार द्वारा अलग-2 अनुबंधों में अलग-2 दरें दी गयी थी। यदि एक ठेकेदार के सभी अनुबन्धों को सम्मिलित कर तुलना की जाती और Item wise न्यूनतम दर ही ली जाती तो खण्ड द्वारा रू 729279 की बचत की जा सकती थी (संलग्नक) इसी प्रकार Restoration of rain cuts with soil कार्य हेतु किमी 4 से 5 में अनुबंध गठित कर उक्त कार्य कराया गया[1] जबकि पूर्व में अनुबंध सख्या 80S/AE-IV/15-16 दिनांक 30.07.2015 द्वारा उक्त कार्य पर रू 188430 का व्यय किया जा चुका था। इस संबंध में इंगित करने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया कि चूंकि निविदाए रीच के अनुसार अलग-2 आमन्त्रित की गयी थी तदनुसार अलग-2 अनुबंध गठित किये गये। वर्षाकाल में नहरों में कटाव कार्य होने पर (किमी. 4 से 5 में Restoration of rain cuts) कार्य पुनः करवाया गया।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध हेतु अलग-2 निविदाएं आमन्त्रित करने के स्थान पर यदि एक बार ही निविदा आमन्त्रित की जाती ओर तदनुसार अनुबंध गठित किये जाते तो रू 719279 की बचत की जा सकती थी। साथ ही किमी 4 से 5 में उक्त अवधि Restoration of rain cuts दुबारा कराया गया जबकि उसके करने के बाद अन्य अनुबंध गठित कर उनमें फिर से उक्त कार्य मद का प्रावधान किया गया था।

अतः रू 9.1 लाख (रू 729279 + रू 188430) के लागत वृद्धि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

[1] 23EE/16-17,45EE/16-17 एवं 02EE/16-17

प्रस्तर 3- रू 28.88 की लागत के कुल 68 बड़े सीमेन्ट पाइपों (2.5 मी X 2.0 मी) का अधिक मात्रा में क्रय।

जनपद उधमसिंह नगर के विकासखण्ड काशीपुर के द्रोणसागर राजवाह की रामनगर रोड़ क्रासिंग से चीनी मिल तक भूमिगत योजना हेतु नाबार्ड द्वारा रू 1538.31 (माह 09/2013) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं इतनी ही राशि की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (कु.) द्वारा माह 11/2013 में प्रदान की गयी थी। उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु खण्ड द्वारा कुल 31 अनुबंध गठित किये गये थे साथ ही कुल 133 आपूर्ति आदेशों के माध्यम से सिमेन्ट के बडे (2.5 मी X 2 मी) कुल 1853 पाईप खरीदे गये थे। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कार्य निष्पादन एक ही ठेकेदार द्वारा न करवाकर 31 अलग अलग अनुबंध गठित किए गये थे जिसमे से 10 अनुबंध एक ही ठेकेदार के पक्ष में थे। खण्ड द्वारा रू 7.67 करोड़ की लागत के कुल 1853 पाइपों में से कुल 1785 बिछाये गये थे एवं कुल 68 पाइप शेष थे (68 पाइपों का मूल्य 68 X2.5 मी (लम्बाई) = 170 मी.। मूल्य 170 मी. X रू 16990 = 2888300 अर्थात 28.88 लाख)। लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य पूर्ण था। लेखापरीक्षा के कार्य को टूकड़ों में बांटने एवं अधिक मात्रा में पाइप खरीदने पर इंगित करने पर खण्ड द्वारा बतलाया गया कि स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया एवं शेष पाइपों का इस्तेमाल भविष्य में होने वाली मरम्मत हेतु संचित रखना बतलाया गया। खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि यदि रोजगार के उद्देश्य से अलग-2 अनुबंध गठित किये गये थे तो खण्ड द्वारा 31 में से 10 अनुबंध एक ही ठेकेदार को सौपना न्यायसंगत नहीं था एवं रोजगार के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। दूसरा नहर को भूमिगत (पाइपो द्वारा) किया गया था एवं उसके ऊपर पक्की सीमेन्टेड सड़क निर्मित की गयी थी समय-2 पर साफ सफाई हेतु प्रत्येक 100 मी के सैम्पवैल बनाये गये थे। इतने बड़े पाइपों का इस्तेमाल आगे किसी योजना में किया जाना भी प्रस्तावित नहीं था। मात्र भविष्य में होने वाली मरम्मत हेतु 68 संख्या के पाइपों को संचित रखना अव्यवहारिक तो था ही साथ ही उनकी देख-रेख एवं भण्डारण पर भी निरन्तर व्यय होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः कार्यों को टुकड़ों में बांट कर अनुबंध करने एवं रू 28.88 लाख की लागत के बड़े पाइपों की अनावश्यक खरीद का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
31/95-96	-	1
17/95-96	-	1,2,3
50/97-98	-	1,2,3
99/99-2000	-	1,2,3
90/2000-01	-	1
23/2002-03	1	1,2
48/2004-05	1	1
89/2005-06	1	1,2
20/2007-08	-	1,2
65/2010-11	1	2
31/2013-14	-	1

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
31/95-96 17/95-96 50/97-98 99/99-2000 90/2000-01 23/2002-03 48/2004-05 89/2005-06 20/2007-08 65/2010-11 31/2013-14		उक्त समस्त प्रस्तरों का उत्तर उच्चाधिकारियों के माध्यम से कार्यालय महालेखाकार (ले.प.) को प्रेषित किया जा चुका है।		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) तुमडिया डैम से संबंधित अनुबंधों से संबंधित अंतिम भुगतान बिलों की छाया प्रति।
   (ii) माप पुस्तिका सं. 780(L)
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
   (ii)
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री राम सकल आर्य	अधिशासी अभियन्ता

खण्डीय लेखा अधिकारी

(i) श्री एस. के. तंवर विगत सम्प्रेक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2